# <u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 9/2019** **दायर दिनांकः 05.02.2019**

**उनवान**

1. भारतभूषण आयु 58 वर्ष पुत्र कजोडमल जाति महाजन निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. सीमाबाई आयु 50 वर्ष पत्नी भारतभूषण गोयल जाति महाजन निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान।

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**अप्रार्थी**

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम</u>**

**उपस्थिति :—**

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री आर0 पी0 गोयल।

## निर्णय

दिनांक 07.01.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 1746/3037 रकबा 0.1700 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1749 रकबा 0.2900 हेक्टर माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0 में वाके है। जो प्रार्थी संख्या क्रम 1 के खातेदारी कब्जे में चली आ रही है। इसी तरह आराजी खसरा नम्बर 1749/2721 रकबा 0.4700 हेक्टर माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 760 सम्वत् 2073 ता 76 प्रार्थीया संख्या—2 के खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है। प्रार्थना पत्र के मद नम्बर—1 में वर्णित आराजी के काश्त मेडबंदी हदबंदी इत्यादि को लेकर पडौसी काश्तकारान से हर दिन विवाद बना रहता हैं, जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी आराजी की समुचित कास्त नहीं कर पाते तथा हदवंदी को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है। प्रार्थीगण को मानसिक अशान्ति बनी रहती है, इन हालात में प्रार्थीगण के लिये अपने खाते की उपर वर्णित आराजी का सीमाज्ञान हदबंदी व मेडबंदी एवं मुड्डी गडवाना चाहते है, ताकि पडौसी काश्तकारान से हमेशा का विवाद समाप्त हो जाये । प्रार्थीगण ने इस बाबत् तहसीलदार साहब अप्रार्थी से भी निवेदन किया था, लेकिन उन्होने पत्थरगढी हदबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:11 IST
Reason: SelfAttested

कराने से मना कर दिया, केवल साधारण सीमाज्ञान की बात कही, इसी कारण दिनांक 20—1—19 को कार्यवाही पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी माल मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है, तथा हदबंदी को लेकर विवाद भी माल मोठपुर तहसील अटरु जिला बारां राजस्थान में उत्पन्न हुआ लिहाजा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि श्रीमान अधीनस्थ अधिकारी की टीम बनाकर प्रार्थनापत्र की मद नम्बर—1 में वर्णित आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी, हदवंदी एवं मुड्डियॉ गडवाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी को अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान टीम बनाकर करवाया जाकर पत्थरगढी करवाने की कृपा करें। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 433 ख0नं0 1746/3037 रकबा 0.17 है0 ख0नं0 1749 रकबा 0.29 है0 किता 2 रकबा 0.46 है0 व खाता संख्या 760 ख0नं0 1749/2721 रकबा 0.47 है0 भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की खाता संख्या 433 किता 2 रकबा 0.46 है0 व खाता संख्या 760 किता 1 रकबा 0.47 है0 का टीम बनाकर पक्षकारान खातेदारों की उपस्थिति में विद्यमान सर्वे मानचित्र रिकॉर्ड के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावें। पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट पेश की जावें। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:11 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**